राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय,
पंत कृषि भवन, राजस्थान, जयपुर
दूरभाष – 0141–2227365 Extn. 401 फैक्स –0141–2227088

कमांकः एफ 18 (14)आ0कृ0 / भण्डार तकनीकी / जनरल / नीलामी / 2015–16 /653-54 दिनांकः 12/01/2016

नीलामी सूचना

कृषि आयुक्तालय के सूचना एवं पौध सरंक्षण अनुभाग के लीड, स्पेस, पेपर प्रिन्टीग, कटर, स्टेचिंग मशीने, प्लाटिक स्प्रेयर, ब्रास स्प्रेयर आदि अनुपयोगी सामग्री राशि रू0 12,85,233 / –(अक्षरे रूपये बारह लाख पीचयासी हजार दौ सौ तेतीस मात्र) की नीलामी की जानी है। इच्छुक निविदादाता / बोलीदाता दिनांक 10.02.2016 को दोपहर 2.30 बजे तक पंत कृषि भवन के कमरा न0 238 मे निर्धारित प्रपत्र लेटर हैड अथवा सादा कागज पर मुद्रित कर एक मुश्त बोली राशि अंकित कर प्रस्तुत कर सकते है। निविदादाता द्वारा निविदा को सील बन्द लिफाफे में बयाना राशि 10,000 / – रू (दस हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट " आयुक्त कृषि राजस्थान जयपुर " के नाम संलग्न करना होगा। नीलामी योग्य सामग्री का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है। उक्त नीलामी की अन्य शर्ते कार्यालय समय में आहरण एवं वितरण अधिकारी कमरा न0 247 तथा भण्डार कमरा न0 0010 पंत कृषि भवन, जयपुर से प्राप्त की जा सकती है या विभागीय वेबसाइट www.krishi.rajasthan.gov.in राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.raj.nic.in से भी डाउन लोड की जा सकती है।

(कुलदीप रांका)
शासन सचिव,
आयुक्त कृषि एवं उधानिकी

कमांकः एफ 18 (14)आ0कृ0 / भण्डार तकनीकी / जनरल / नीलामी / 2015–16 /653-54 दिनांकः 12/01/2016

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
2 अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार), मु0 जयपुर।
3 वित्तीय सलाहकार मु0 जयपुर।
4 एनलिस्ट कम प्रोग्रामर मु0 जयपुर को विभागीय, राज्य लोक उपापन तथा डी.पी.आर की वेब साइट पर प्रकाशन हेतु।
5 समस्त क्षेत्रीय एवं खण्डीय मुख्यालय............................
6 नोटिस बोर्ड, पंत कृषि भवन, को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित है।
7 निजी / आरक्षी पत्रावली।

(डॉ.पी.के.सिंह)
उप निदेशक कृषि (गु.नि.)
एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी

राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर

वित्तीय बोली

विषय :– आयुक्तालय भण्डार के अनुपयोगी भण्डार सामग्री की नीलामी।

सन्दर्भ :– निविदा सूचना संख्या कमांकः एफ 18 (14) आ0कृ0 /भण्डार तकनीकी / जनरल /नीलामी/2015–16/653–70 दिनांक 12.01.2016

1 किसको सम्बोधित किया गया है :– **आयुक्त कृषि, राजस्थान, जयपुर**

2 निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं पूरा पता मय दूरभाष संख्या (निविदादाता फोटो आई.डी. की छाया प्रति सलग्न करें) :–.... ....

....

3 कृषि आयुक्तालय भण्डार के अनुपयोगी/अप्रचलित भण्डार सामग्री (जो कि मेरे द्वारा मौके पर जहॉ है जैसी स्थिति में है देखली गयी है)

(अ) बिड राशि रू0.. (अक्षरे रूपये ....) की बोली स्वीकार करता हूँ।

4 बयाना राशि रू का बैंकर चैक/डी.डी. का विवरण :–

बैंक का नाम ....बैंकर चैक/ डी.डी. न0....................................दिनांक ....

(बोली दाता द्वारा नीलामी की बोली की राशि क.स. 3 में भरी जानी है।)

निविदादाता के हस्ताक्षर
फर्म का नाम एवं पता

राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, जयपुर

कृषि आयुक्तालय भण्डार के अतंर्गत पौ0सं0 एवं सूचना अनुभाग की नकारा सामग्री की दिनांक 10.02.2016 को की जाने वाली नीलामी का प्रारूप एवं सामान्य शर्ते :--

1 निविदादाता वित्तीय बिड संलग्न प्रोफार्म में प्रस्तुत करेगे तथा नीलाम की जाने वाली सामग्री को कार्यालय दिवस में देखा जा सकता है।

2 समिति द्वारा निर्धारित की गई बयाना राशि रू 10 हजार का डीडी/बैंकर चैक जो कि आयुक्त कृषि, जयपुर के नाम देय हो बोलीदाता को लिफाफे में वित्तीय बोली के साथ संलग्न करना होगा। बयाना राशि के अभाव में निविदा पर विचार नही किया जावेगा। सील बन्द लिफाफा दिनांक 10.02.2016 2.30 P.M. तक आहरण एवं वितरण अधिकारी कमरा न0 247 में जमा कराना होगा। विलम्ब से प्राप्त बोली पर कोई विचार नही किया जावेंगा। प्राप्त बोली/निविदा को दिनांक 10.02.2016 को सांय 3.00 बजे उपस्थित बोली दाताओं के समक्ष कमरा न0 238 में समिति द्वारा खोला जावेगा। सफल बोली राशि का नियमानुसार वेट जमा कराना होगा। वेट राशि निविदत्त राशि से अतिरिक्त देय होगी।

3 सफल बोलीदाता को वित्तीय बिड राशि मय वेट 25 प्रतिशत नगद अथवा बैंक ड्राफट द्वारा जो "आयुक्त कृषि, जयपुर" के नाम देय हो दिनांक 10.02.2016 को सांय 5.00 बजे तक मौके पर जमा कराना होगा। इसके अभाव में बयाना राशि जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। शेष 75 प्रतिशत राशि मय वेट दिनांक 12.02.2016 तक अपरान्ह 3.00 बजे तक जमा करानी होगी। निर्धारित समय में राशि जमा नही होने पर प्राप्त पूरी राशि जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 15.02.2016 सांय 5.00 बजे तक सामग्री कार्यालय से उठानी होगी। इसके पश्चात् 1000/- रू प्रति दिवस के हिसाब से पेनल्टी वसूली की जावेगी। दिनांक 17.02.2016 तक सामग्री नही उठाने पर सामग्री उठाने की अनुमति नही दी जावेगी एवं सामग्री जप्त करली जावेगी।

4 द्वितीय अधिकतम बोलीदाता की बोली प्रतिभूति राशि प्रथम अधिकतम बोलीदाता के द्वारा 25 प्रतिशत राशि जमा करवा दिये जाने के उपरान्त ही लौटायी जावेगी। शेष बोलीदाओं की अमानत राशि उसी दिन लौटा दी जावेगी।

5 वित्तीय बोली का प्रारूप एवं शर्ते दिनांक 10.02.2016 तक कार्यालय दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक कमरा न0 0010 से प्राप्त कर सकते है. अथवा विभागीय वेबसाइट www.krishi.rajasthan.gov.in राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.raj.nic.in से भी डाउन लोड की जा सकती है।

6 वित्तीय बोली में काट छांट एवं ओवर राईटिंग अमान्य है।

7 नीलामी कर्ता समिति का निर्णय अंतिम होगा एवं सभी निविदा दाताओं को मान्य होगा।

उक्त शर्ते निविदा दाता (बोलीदाता) को मान्य होगी।

(डॉ.पी.के.सिंह)
उप निदेशक कृषि (गु.नि.)
एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी

निविदादाता के हस्ताक्षर
(नाम) फर्म का पता